तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज माधोलाल गुर्जर बनाम राजस्थान सरकार 101/RAA/2020	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/2/24	**पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 8/4/024 को पेश हो।**	
8/4/24	पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक - 20/05/2024 को पेश हो।	
20/5/24	पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक - 24/05/2024 को पेश हो।	नि.अ. छोटूलाल
24/5/24	**पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी दौरे/ मिटींग/ V.C. मे व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 12-7-24 को पेश हो।**	
12/7/24	पत्रावली पेश। बहस वकील वादीगण सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक - 25/07/2024 को पेश हो।	
25/7/24	पत्रावली पेश। वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। वादीगण द्वारा वाद "सरकार राज्य" का नोट अंकित है, उसे हटाने बाबत वाद पेश किया गया है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में "प्रदर्श-1 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 खाता सं. 151 व प्रदर्श-2 जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 खाता सं. 152 ग्राम सुखपुरा प०मण्डल भेण्डी, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2022 से	

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तारीख में जारी हुए
	२०१६ ग्राम सुखपुरा प्रदर्श-3, जमाबन्दी सम्वत 2022 से २०१६ खाता नं० ६2 ग्राम सुखपुरा प्रदर्श-4 व जमाबन्दी सम्वत २०२६ से २०१८ खाता. न. ६५ ग्राम सुखपुरा पेश किये है। पेशेकार सरकार द्वारा खुद किस प्रकार दर्ज हुआ इस बाबत वादीगण द्वारा पुराना रिकार्ड पेश नही करने वादग्रस्त भूमि की स्थिति स्पष्ट नही होना अंकित किया है। प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजो / साक्ष्यो से यह कही भी स्पष्ट नही है कि विवादित भूमि में "सरकार राहिन" का नोट किस प्रकार दर्ज हुआ है। उक्त तथ्यों को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत विनिर्णय प्रकरण में चस्पा नही होता है। उक्त विनिर्णय में जमाबन्दी सम्वत 2010 में ही जोता का नाम अंकित था। वादीगण ने अपने वादपत्र के साथ सम्वत 2010 से 2016 के बीच की जमाबन्दीयाँ पेश नही की है, जिससे यह स्पष्ट हो कि किस आधार या आदेश से "राहिन सरकार" का नोट दर्ज किया गया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यो से जमाबन्दीयो / साक्ष्य के अभाव से प्रकरण प्रमाणित नही होने से खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	